उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध-गाजियाबाद
हॉल नं०-एस-1. सेक्टर-16ए, वसुन्धरा काम्पलैक्स,
वसुन्धरा गाजियाबाद पिन-201012

पत्र सं०-3982 / स०प्र० गाजि०/ दिनांक-29/04/2026

पात्रता / नम्बरिंग ड्रॉ चयन सम्बन्धित सूचना

मेरठ जोन के अन्तर्गत सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर-10 में नवसृजित विभिन्न प्रकार के 157 नग आवासीय भूखण्डो हेतु दिनांक 02.03.2026 से 31.03.2026 तक सामान्य पंजीकरण-2026 खोला गया था, जिनका लॉटरी ड्रॉ द्वारा आवंटन/पात्रता/नम्बरिंग ड्रॉ चयन दिनांक 18.05.2026 को शासनादेशों / परिषद विनियमों के प्राविधानों के अनुसार निम्नवत किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	योजना का नाम	भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	लाटरी ड्रॉ का समय एवं तिथि	लाटरी ड्रॉ स्थल का नाम व पता
1	सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद	56	72.00	दिनांक 18.05.2026 दिन सोमवार प्रात : 11:00 बजे से समाप्ति तक	वसुन्धरा योजना सेक्टर-16 स्थित सेन्ट्रल मार्केट प्रथम तल
2		101	112.50		

नोटः 1 - उपरोक्त निर्धारित तिथि पर आवेदक लाटरी ड्रॉ स्थल पर समयानुसार पंजीकरण की प्रति एवं व्यक्तिगत्त पहचान-पत्र तथा आधार कार्ड, वोटर आई०डी० कार्ड आदि के साथ प्रतिभाग कर सकते है। 2- पंजीकरण पुस्तिका के आवंटन नियम बिन्दु सं0-2.9 के अनुसार एक मुश्त भुगतान विकल्प वाले आवेदकों को आवंटन में वरीयता दी जायेगी। लाट्ररी ड्रॉ सर्वप्रथम एकमुश्त भुगतान वाले आवेदकों के मध्य किया जायेगा। यदि इसके पश्चात भूखण्ड अवशेष रहते है तो किश्तों के विकल्प वाले आवेदकों के मध्य सार्वजनिक ड्रॉ से आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। यह भी सूचित करना है कि वैध/अवैध आवेदकों की सूची पात्रता/नम्बरिंग ड्रॉ की तिथि से पाँच दिन पूर्व परिषद की वेबसाइट www.upavp.in/PUBLIC NOTICE पर अपलोड कर दी जायेगी। यदि किसी आवेदक को कोई आपत्ति हो तो पात्रता / नम्बरिंग ड्रॉ चयन दिनांक से दो कार्य दिवस पूर्व से पहले तक अपनी आपत्ति का निराकरण परिषद नियमानुसार करा सकते है। 3- वैध/अवैध आवेदकों की संख्या घट-बढ़ सकती है। 4- आवंटन / पात्रता ड्रॉ का परिणाम ड्रॉ के पश्चात परिषद की वेबसाइट www.upavp.in/PUBLIC NOTICE पर उपलब्ध होगा।

आवास आयुक्त

अधिक जानकारी के लिए : https://upavp.in 1800 180 5333 | 0522 2236803